संदर्भ सं. राबैं.एमसीआईडी/213 /डीएवाई-एनआरएलएम-पॉलिसी/2024-25

परिपत्र सं. 98 / एमसीआईडी-03/2024

24 मई 2024

(1) अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

(2) प्रबंध निदेशक
सभी राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

मास्टर परिपत्र - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) और वर्ष 2024-25 के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज सहायता योजना

कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 24 मई 2023 का हमारा परिपत्र संख्या राबैं.एमसीआईडी/267 /डीएवाई-एनआरएलएम/2023-24 का संदर्भ लें. वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) पर जारी परिपत्र और ब्याज सहायता योजना के परिचालन हेतु संशोधित दिशानिर्देश इसके साथ संलग्न हैं (अनुलग्नक I , II तथा III). कृपया अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करें।

2. इस योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड से रियायती पुनर्वित्त की उपलब्धता पर विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे ।

3. बैंक अपने ब्याज सहायता दावे निर्धारित फॉर्म्स (अनुलग्नक VI & VII) में प्रस्तुत करें।

भवदीया,

eSign
Signed by: LALFAKZUALI LEIVANG
Organization Unit: CHIEF GENERAL MANAGER
Organization Name: THE NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Date: 09-Jul-2024 (01:03 PM)

संलग्न : यथोक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
सूक्ष्म ऋण नवप्रवर्तन विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26530084 • फ़ैक्स: +91 22 26528141 • ई मेल: mcid@nabard.org
Micro Credit Innovations Department
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26530084 • Fax: +91 22 26528141• E-mail: mcid@nabard.org

मास्टर परिपत्र

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

1। पृष्ठभूमि

ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), भारत सरकार ने 01 अप्रैल 2013 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का शुभारंभ किया (आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2012-13/559 दिनांक 27 जून 2013)। एनआरएलएम का नाम बदलकर 29 मार्च 2016 से डीएवाई-एनआरएलएम (दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) कर दिया गया। डीएवाई-एनआरएलएम गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए मजबूत संस्थानों का निर्माण करके और इन संस्थानों को वित्तीय सेवाओं और आजीविका की एक श्रृंखला तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाकर गरीबी में कमी लाने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। डीएवाई-एनआरएलएम मांग आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है, जिससे राज्यों को अपनी राज्य विशिष्ट गरीबी कम करने की कार्य योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है

2. महिला स्वयं सहायता समूह और उनके संघ

2.1 डीएवाई-एनआरएलएम आत्मीयता आधारित महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बढ़ावा देता है। हालांकि, केवल विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों और ट्रांसजेंडरों जैसी अन्य विशेष श्रेणियों के साथ गठित किए जाने वाले समूहों के मामले में, डीएवाई-एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों में पुरुष और महिला दोनों को शामिल कर सकता है।

2.2 डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों में 10-20 सदस्य होते हैं। विशेष स्वयं सहायता समूहों यानी दुर्गम क्षेत्रों में समूह, विकलांग व्यक्तियों वाले समूह और दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में गठित समूहों के मामले में यह संख्या न्यूनतम 5 सदस्यों की हो सकती है।

2.3 गांव, ग्राम पंचायत, क्लस्टर या उच्च स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूहों के संघों को उनके संबंधित राज्यों में प्रचलित उपयुक्त अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है।

स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता

3. परिक्रामी निधि

ग्रामीण विकास मंत्रालय के डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को ₹20,000-₹30,000 के बीच की राशि के रिवॉल्विंग फंड (आरएफ) सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत किया जा सके और समूह के भीतर एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाया जा सके। ऐसे स्वयं सहायता समूह जो कम से कम 3/6 महीने से अस्तित्व में हैं और अच्छे स्वयं सहायता समूहों के मानदंडों का पालन करते हैं, जिन्हें 'पंचसूत्र' के रूप में जाना जाता है, जैसे कि नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित आंतरिक उधार, नियमित वसूली और उचित खाता बही का रखरखाव, और जिन्हें पहले कोई आरएफ नहीं मिला है, वे इस तरह की सहायता के लिए पात्र होंगे।

4. पूंजी सब्सिडी

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत किसी भी स्वयं सहायता समूह को कोई पूंजीगत सब्सिडी स्वीकृत नहीं की जाएगी।

5. सामुदायिक निवेश सहायता निधि (सीआईएफ)

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सभी ब्लॉकों में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रवर्तित स्वयं सहायता समूहों को सीआईएफ प्रदान किया जाएगा और इसे ग्राम स्तर/क्लस्टर स्तर के संघों के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसे संघों द्वारा निरंतर बनाए रखा जाएगा। सीआईएफ का उपयोग संघों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने और/या साझा/सामूहिक सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए किया जा सकता है।

6. ब्याज अनुदान

डीएवाई-एनआरएलएम में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज अनुदान का प्रावधान है। योजना की मुख्य विशेषताएं अनुलग्नक II में संलग्न हैं ।

7. बैंकों की भूमिका:

7.1 बचत/चालू खाते खोलना: बैंकों की भूमिका सभी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए खाते खोलने के साथ शुरू होगी, जिनमें विकलांग सदस्य वाले समूह और स्वयं सहायता समूहों के संघ भी शामिल हैं।

(i) अपने सदस्यों में बचत की आदत को बढ़ावा देने में लगे स्वयं सहायता समूह बचत बैंक खाते खोलने के लिए पात्र होंगे।

(ii) एसएचजी सदस्यों से संबंधित केवाईसी सत्यापन के लिए, आरबीआई द्वारा केवाईसी पर मास्टर निर्देश (दिनांक 25 फरवरी, 2016, समय-समय पर अद्यतन) में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। एसएचजी द्वारा पैन/फॉर्म 60 जमा करने के संबंध में, बैंकों को केवाईसी पर मास्टर निर्देश की धारा 33ए(बी) द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

(iii) बैंकों द्वारा तैनात व्यवसाय प्रतिनिधियों को भी स्वयं सहायता समूहों के बचत बैंक खाते खोलने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि वे वर्तमान व्यवसाय प्रतिनिधियों के दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा व्यवसाय प्रतिनिधियों पर बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कार्य करें।

(iv) स्वयं सहायता समूहों के ऋण लिंकेज के लिए बैंक में सभी सदस्यों का बचत खाता खोलना अनिवार्य नहीं होगा। बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के लिए अलग-अलग बचत और ऋण खाते रखने की सलाह दी जाती है।

(v) बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे गांव, ग्राम पंचायत, क्लस्टर या उच्च स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के संघों के बचत खाते खोलें। इन खातों को 'व्यक्तियों के संघ' के लिए बचत खाते के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे खातों के हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) मानदंड लागू होंगे।

(vi) बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रवर्तित उत्पादक समूहों के लिए गांव, ग्राम पंचायत, क्लस्टर या उच्चतर स्तर पर चालू खाते खोलें। ऐसे खातों के हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) मानदंड लागू होंगे।

7.2 स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों के संघ के बचत/नकद ऋण खाते में लेनदेन

(i) स्वयं सहायता समूहों और उनके महासंघों को अपने-अपने बचत/नकद ऋण खातों के माध्यम से लेन-देन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(ii) बैंकों को सलाह दी जाती है ऑन-अस और ऑफ अस [1] दोनों ही परिवेशों में दोहरी प्रमाणीकरण सुविधा लागू करें, ताकि एसएचजी को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट द्वारा प्रबंधित खुदरा दुकानों पर संयुक्त रूप से संचालित बचत/नकद ऋण खातों में लेनदेन करने में सक्षम बनाया जा सके। बैंकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से एसएचजी और उनके संघों को ऐसी सभी सेवाएँ प्रदान करें।

7.3 स्वयं सहायता समूहों और उनके व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण देना

7.3.1 ऋण प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों हेतु पात्रता मानदंड:

(i) स्वयं सहायता समूह अपनी खाता बहियों के अनुसार कम से कम 6 माह से सक्रिय अस्तित्व में होना चाहिए (न कि एस/बी खाता खोलने की तिथि से)।

(ii) स्वयं सहायता समूहों को 'पंचसूत्र' का पालन करना चाहिए, अर्थात नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित अंतर-ऋण, समय पर पुनर्भुगतान और अद्यतन खाता बही।

(iii) स्वयं सहायता समूहों की आहर्ता नाबार्ड द्वारा परिपत्र सं 185/ एमसीआयडी -01/2022 दिनांक 10 अगस्त 2022 में निर्धारित एनआरएलएम ग्रेडिंग मानदंडों जो सभी स्वयं सहायता समूहों को सार्वभौमिक रूप से अपनाए जाने की सिफारिश के अनुसार होनी चाहिए। जब भी स्वयं सहायता समूहों के संघ अस्तित्व में आएंगे, तो बैंकों की सहायता के लिए संघों द्वारा ग्रेडिंग का काम किया जा सकता है।

(iv) मौजूदा निष्क्रिय स्वयं सहायता समूह भी ऋण के लिए पात्र हैं, यदि इन्हें पुनर्जीवित किया जाए तथा ये न्यूनतम तीन महीने की अवधि तक सक्रिय रहें।

7.3.2 ऋण आवेदन:

(i) सभी बैंक स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार किए गए सामान्य ऋण आवेदन प्रपत्रों का उपयोग कर सकते हैं।

(ii) बैंक स्वयं सहायता समूहों को डीएवाई-एनआरएलएम और राष्ट्रीय ऋण लिंक्ड योजनाओं के पोर्टल द्वारा विकसित प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन ऋण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

[1] दोहरा प्रमाणीकरण: स्वयं सहायता समूह के दो सदस्यों द्वारा उनके आधार और बायोमेट्रिक्स के माध्यम से प्रमाणित लेनदेन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अंतरबैंक (स्वयं सहायता समूह खाता और बैंकिंग करेसपांडेन्ट/ समान बैंक के टर्मिनल) और अंतर–बैंकिय स्वयं सहायता समूह खाता और बैंकिंग करेसपांडेन्ट/ भिन्न बैंकों के टर्मिनल) लेनदेनों के लिए दोहरे प्रमाणीकरण की व्यवस्था प्रदान की हें.

ऑन – अस / अंतरबैंक लेनदेन : ऐसे लेनदेन जिनमे प्रयोग की गई लिखत उसी बैंक द्वारा जारी की गई हैं जिसके टर्मिनल पर लेनदेन किया जा रहा हें.

ऑन – अस /अंतरबैंक लेनदेन : ऐसे लेनदेन जिनमे प्रयोग की गई लिखत उसी बैंक द्वारा जारी की गई हैं जो लेनदेन किए जाने वाले टर्मिनल के बैंक से भिन्न हैं.

7.3.3 ऋण राशि

(i) डीएवाई-एनआरएलएम के तहत सहायता की कई खुराकों पर जोर दिया गया है। इसका मतलब है कि एसएचजी को समय-समय पर सहायता प्रदान करना, बार-बार ऋण की खुराक के माध्यम से, ताकि समूह को स्थायी आजीविका अपनाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

(ii) एसएचजी अपनी आवश्यकता के आधार पर या तो टर्म लोन (टीएल) या कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) या दोनों का लाभ उठा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर, एसएचजी के पुनर्भुगतान व्यवहार और प्रदर्शन के आधार पर, पिछला ऋण बकाया होने पर भी अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।

(iii) सीसीएल के मामले में, बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक पात्र एसएचजी को 3 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक आहरण शक्ति (डीपी) के साथ न्यूनतम ₹6 लाख का ऋण स्वीकृत करें। एसएचजी के पुनर्भुगतान प्रदर्शन के आधार पर आहरण शक्ति को सालाना बढ़ाया जा सकता है। आहरण शक्ति की गणना इस प्रकार की जा सकती है:

a. प्रथम वर्ष के लिए डी.पी.: मौजूदा निधि का 6 गुना या न्यूनतम ₹1.5 लाख, जो भी अधिक हो।
b. दूसरे वर्ष के लिए डी.पी.: समीक्षा/वृद्धि के समय कोष का 8 गुना या न्यूनतम ₹3 लाख, जो भी अधिक हो।
c. तीसरे वर्ष के लिए डीपी: एसएचजी द्वारा तैयार और फेडरेशन/सहायता एजेंसी द्वारा मूल्यांकित माइक्रो क्रेडिट प्लान (एमसीपी) और पिछले क्रेडिट इतिहास के आधार पर न्यूनतम ₹6 लाख।
d. चौथे वर्ष के बाद के लिए डीपी: ₹6 लाख से अधिक, एसएचजी द्वारा तैयार एमसीपी और फेडरेशन/सहायता एजेंसी द्वारा मूल्यांकन और पिछले क्रेडिट इतिहास के आधार पर।

(iv) सावधि ऋण के मामले में, बैंकों को नीचे उल्लिखित किस्तों में ऋण स्वीकृत करने की सलाह दी जाती है:

a. पहली मात्रा : मौजूदा धनराशि का 6 गुना या न्यूनतम ₹1.5 लाख, जो भी अधिक हो।
b. दूसरी मात्रा: मौजूदा कोष का 8 गुना या न्यूनतम ₹3 लाख, जो भी अधिक हो।
c. तीसरी मात्रा: न्यूनतम ₹6 लाख, जो स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई एमसीपी तथा महासंघों/सहायता एजेंसी द्वारा मूल्यांकित और पिछले क्रेडिट इतिहास पर आधारित होगी।
d. चौथी मात्रा से आगे: ₹6 लाख से अधिक, स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार एमसीपी और महासंघों/सहायता एजेंसी द्वारा मूल्यांकन तथा पिछले क्रेडिट इतिहास के आधार पर।

(कॉर्पस में स्वयं सहायता समूह द्वारा प्राप्त परिक्रामी निधि, यदि कोई हो, इसकी अपनी बचत, स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने सदस्यों को ऋण देने से अर्जित ब्याज, अन्य स्रोतों से आय, तथा अन्य संस्थानों/एनजीओ द्वारा प्रोत्साहन के मामले में अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियां शामिल हैं।)

(v) बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी जाती है कि पात्र स्वयं सहायता समूहों को बार-बार ऋण उपलब्ध कराया जाए।

7.3.4 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण सुविधाएं

(i) महिला एसएचजी सदस्यों को उद्यमी बनने में सहायता करने के लिए, बैंक अपनी ऋण नीति के अनुसार, चुनिंदा परिपक्व और बेहतर प्रदर्शन करने वाले एसएचजी (एसएचजी जो 2 वर्ष से अधिक पुराने हैं और जिन्होंने समय पर पुनर्भुगतान के साथ बैंक ऋण की कम से कम एक खुराक प्राप्त की है) के

व्यक्तिगत सदस्यों को ₹10 लाख तक का ऋण देने पर विचार कर सकते हैं। व्यक्ति को एक व्यवहार्य आर्थिक उद्यम चलाना चाहिए। बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे महिला एसएचजी सदस्यों को दिए गए व्यक्तिगत ऋणों के डेटा को आपसी सहमति वाले प्रारूप और आवधिकता में डीएवाई-एनआरएलएम के साथ साझा करें।

(ii) डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की एक महिला को मुद्रा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है, यदि वह अन्यथा पात्र हो।

(iii) बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएमजेडीवाई खाता रखने वाली प्रत्येक महिला एसएचजी सदस्य को न्यूनतम ₹5000 की ओडी सुविधा प्रदान करें। बैंक नियमित रूप से महिला एसएचजी सदस्यों को ओडी सीमा पर डेटा आपसी सहमति वाले प्रारूप और आवधिकता में डीएवाई-एनआरएलएम के साथ साझा कर सकते हैं।

(iv) डीएवाई-एनआरएलएम ने उपर्युक्त खंड (i) और (ii) के अनुसार पात्र व्यक्तिगत महिला एसएचजी सदस्यों के लिए 'महिला उद्यम त्वरण निधि' बनाई है। निधि की मुख्य विशेषताएं अनुलग्नक-III में संलग्न हैं।

(v) उत्पादक समूहों/उत्पादक संगठनों को ऋण: महिला एसएचजी सदस्यों को सामूहिकीकरण/एकत्रीकरण/मूल्य संवर्धन के माध्यम से अपने उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, बैंक अपनी ऋण नीति के अनुसार, डीएवाई-एनआरएलएम के तहत अच्छा प्रदर्शन करने वाले चुनिंदा उत्पादक समूहों/उत्पादक संगठनों को उनकी वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए ऋण देने पर विचार कर सकते हैं।

7.3.5 ऋण का उद्देश्य और पुनर्भुगतान:

(i) ऋण राशि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार एमसीपी के आधार पर सदस्यों के बीच वितरित की जाएगी। ऋण का उपयोग सदस्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने, उच्च लागत वाले ऋण की अदला-बदली, घर के निर्माण या मरम्मत, शौचालयों के निर्माण और स्थायी आजीविका को अपनाने या स्वयं सहायता समूहों द्वारा शुरू की गई किसी भी व्यवहार्य सामान्य गतिविधि को वित्तपोषित करने के लिए कर सकते हैं।

(ii) एसएचजी सदस्यों की आजीविका बढ़ाने के लिए ऋण के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए, ₹1 लाख से अधिक के कम से कम 50% ऋण, ₹4 लाख से अधिक के 75% ऋण और ₹6 लाख से अधिक के कम से कम 85% ऋण का उपयोग मुख्य रूप से आय पैदा करने वाले उत्पादक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। एसएचजी द्वारा तैयार किए गए एमसीपी ऋण के उद्देश्य और उपयोग को निर्धारित करने का आधार बनेंगे।

(iii) सावधि ऋणों के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची निम्नानुसार हो सकती है:

a. ऋण की पहली राशि 24-36 महीनों में मासिक/तिमाही किस्तों में चुकाई जा सकती है।
b. ऋण की दूसरी किस्त 36-48 महीनों में मासिक/त्रैमासिक किस्तों में चुकाई जा सकती है।
c. ऋण की तीसरी किस्त को नकदी प्रवाह के आधार पर मासिक/तिमाही किस्तों में 48-60 महीनों में चुकाया जा सकता है।
d. चौथी किस्त से आगे ऋण को मासिक/त्रैमासिक किस्तों में नकदी प्रवाह के आधार पर 60-84 महीनों के बीच चुकाया जा सकता है।

(iv) डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत स्वीकृत सभी ऋण सुविधाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों द्वारा शासित होंगी।

7.3.6 सुरक्षा और मार्जिन:

(i) स्वयं सहायता समूहों को ₹10.00 लाख तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक और कोई मार्जिन नहीं लिया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के बचत बैंक खातों पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं लगाया जाना चाहिए और ऋण स्वीकृत करते समय किसी जमा राशि पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

(ii) एसएचजी को ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक नहीं लिया जाना चाहिए, और एसएचजी के बचत बैंक खाते पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, पूरा ऋण (बकाया ऋण के बावजूद, भले ही यह बाद में ₹10 लाख से कम हो जाए) माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) के तहत कवरेज के लिए पात्र होगा।

(iii) स्वयं सहायता समूहों को ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक के ऋण के लिए, बैंक की अनुमोदित ऋण नीति के अनुसार ₹10 लाख से अधिक ऋण राशि के 10% से अधिक मार्जिन प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

7.3.7 चूककर्ताओं से निपटना [2] :

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत जानबूझ कर ऋण न चुकाने वालों को वित्तपोषित नहीं किया जाना चाहिए। यदि जानबूझ कर ऋण न चुकाने वाले किसी समूह के सदस्य हैं, तो उन्हें रिवॉल्विंग फंड की सहायता से बनाए गए कोष सहित समूह की बचत और ऋण गतिविधियों से लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, ऋण सुविधाओं के संबंध में, ऋण का दस्तावेजीकरण करते समय ऐसे चूककर्ताओं को छोड़कर समूह को वित्तपोषित किया जा सकता है। बैंकों को एसएचजी को ऋण देने से इस आधार पर इनकार नहीं करना चाहिए कि एसएचजी के व्यक्तिगत सदस्यों के परिवार के सदस्य बैंक के साथ चूककर्ता हैं। इसके अलावा, गैर-जानबूझकर चूक करने वालों को ऋण प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि चूक वास्तविक कारणों से होती है, तो बैंक ऋण सुविधाओं के पुनर्गठन के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन कर सकते हैं।

7.3.8 दस्तावेज़ीकरण और अनुवर्ती कार्रवाई

(i) स्वयं सहायता समूहों को क्षेत्रीय भाषाओं में ऋण पासबुक या खातों का विवरण जारी किया जा सकता है, जिसमें उन्हें वितरित ऋणों का पूरा विवरण और स्वीकृत ऋण पर लागू नियम और शर्तें शामिल हो सकती हैं। स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए गए प्रत्येक लेन-देन के साथ पासबुक को अपडेट किया जाना चाहिए। ऋण के दस्तावेज़ीकरण और वितरण के समय, बैंक वित्तीय साक्षरता के हिस्से के रूप में नियम और शर्तों को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं।

(ii) बैंक शाखाएं पखवाड़े में एक निश्चित दिन निर्धारित कर सकती हैं, ताकि कर्मचारी क्षेत्र में जाकर स्वयं सहायता समूहों और फेडरेशनों की बैठकों में भाग ले सकें, स्वयं सहायता समूहों के संचालन का निरीक्षण कर सकें, स्वयं सहायता समूहों की बैठकों की नियमितता पर नजर रख सकें और उनके निष्पादन की निगरानी कर सकें।

[2] जैसा कि 01 जुलाई 2015 को विलफूल डिफलटर्स पर आरबीआई मास्टर सकुर्लर में परिभाषित किया है , जिसे समय-समय पर अपडेट किया जाता है ।

8 वसूली:

कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ऋणों का शीघ्र पुनर्भुगतान आवश्यक है। बैंकों को ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए जिला मिशन प्रबंधन इकाइयों (डीएमएमयू)/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के साथ व्यक्तिगत संपर्क और संयुक्त वसूली शिविरों के आयोजन जैसे सभी संभव उपाय करने चाहिए। ऋण वसूली के महत्व को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को हर महीने डीएवाई-एनआरएलएम के तहत चूक करने वाले एसएचजी की सूची तैयार करनी चाहिए और ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) और जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की बैठकों में सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। इससे ब्लॉक/जिला स्तर पर डीएवाई-एनआरएलएम स्टाफ वसूली शुरू करने में बैंकरों की सहायता करने में सक्षम होगा।

9 ऋण लक्ष्य नियोजन और योजना की निगरानी

(i) बैंक अपने संबंधित क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रकोष्ठ स्थापित कर सकते हैं। इन प्रकोष्ठों को समय-समय पर स्वयं सहायता समूहों को ऋण के प्रवाह की निगरानी और समीक्षा करनी चाहिए, योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए, शाखाओं से डेटा एकत्र करना चाहिए और जिलों/ब्लॉकों में मुख्यालय और डीएवाई-एनआरएलएम इकाइयों को समेकित डेटा उपलब्ध कराना चाहिए। राज्य कर्मचारियों और सभी बैंकों के साथ प्रभावी संचार बनाए रखने के लिए समेकित डेटा पर नियमित रूप से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), बीएलबीसी और डीसीसी बैठकों में भी चर्चा की जा सकती है।

(ii) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति: एसएलबीसी एसएचजी बैंक लिंकेज पर एक उप-समिति का गठन करेगी। उप-समिति में राज्य में कार्यरत सभी बैंकों, आरबीआई, नाबार्ड, एसआरएलएम के सीईओ, राज्य ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि, संस्थागत वित्त सचिव और विकास विभागों के प्रतिनिधि आदि शामिल होने चाहिए। नाबार्ड द्वारा तैयार संभावित लिंक्ड प्लान/राज्य फोकस पेपर के आधार पर, एसएचजी बैंक लिंकेज पर एसएलबीसी उप-समिति जिलावार, ब्लॉकवार और शाखावार ऋण योजना पर पहुंच सकती है। उप-समिति को राज्यों के लिए ऋण लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मौजूदा एसएचजी, प्रस्तावित नए एसएचजी और एसआरएलएम द्वारा सुझाए गए नए और दोहराए गए ऋण के लिए पात्र एसएचजी की संख्या पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार तय किए गए लक्ष्यों को एसएलबीसी में अनुमोदित किया जाना चाहिए और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जानी चाहिए। उप-समिति एसएचजी-बैंक लिंकेज की समीक्षा, कार्यान्वयन और निगरानी के विशिष्ट एजेंडे पर चर्चा करेगी और ऋण लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली समस्याओं/बाधाओं पर विचार करेगी। एसएलबीसी के निर्णय उप-समिति की रिपोर्टों के विश्लेषण से लिए जाने चाहिए।

(iii) जिलावार ऋण योजनाओं की जानकारी जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) को दी जानी चाहिए। ब्लॉकवार/क्लस्टरवार लक्ष्य नियंत्रकों के माध्यम से बैंक शाखाओं को बताए जाने चाहिए।

(iv) जिला परामर्शदात्री समिति: जिला परामर्शदात्री समिति नियमित रूप से जिला स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को ऋण के प्रवाह की निगरानी करेगी और ऐसे मुद्दों का समाधान करेगी जो ऋण के ऐसे प्रवाह को बाधित करते हैं। इस समिति में अन्य सदस्यों के अलावा डीएवाई-एनआरएलएम का प्रतिनिधित्व करने वाले डीएमएमयू स्टाफ और स्वयं सहायता समूहों के महासंघों के पदाधिकारी शामिल होने चाहिए।

(v) ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति: बीएलबीसी ब्लॉक स्तर पर एसएचजी बैंक लिंकेज के मुद्दों को उठाएगी। इस समिति में एसएचजी/एसएचजी के महासंघों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे मंच पर अपनी आवाज उठा सकें। बीएलबीसी में एसएचजी ऋण की शाखावार स्थिति की निगरानी की जाएगी।

(vi) अग्रणी जिला प्रबंधकों को रिपोर्ट करना: शाखाएं डीएवाई-एनआरएलएम की विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत प्रगति रिपोर्ट और विलंब रिपोर्ट अनुलग्नक -IV और V में दिए गए प्रारूप में एलडीएम को हर महीने प्रस्तुत कर सकती हैं, ताकि उसे एसएलबीसी द्वारा गठित विशेष उप-समिति को प्रस्तुत किया जा सके।

(vii) आरबीआई / नाबार्ड को रिपोर्ट करना: बैंक संबंधित तिमाही के अंत से एक महीने के भीतर तिमाही आधार पर आरबीआई/नाबार्ड को डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत की गई प्रगति पर राज्यवार समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।

(viii) लीड बैंक रिटर्न (एलबीआर): एलबीआर जमा करने की मौजूदा प्रक्रिया जारी रखी जानी है।

10 वित्तीय साक्षरता:

वित्तीय साक्षरता वित्तीय व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने और परिवारों को विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में सूचित रखने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है। डीएवाई-एनआरएलएम ने गांव स्तर पर वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने के लिए 'वित्तीय साक्षरता सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (एफएल-सीआरपी)' नामक बड़ी संख्या में कैडर को प्रशिक्षित और तैनात किया है। विभिन्न बैंकों द्वारा स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) संबंधित एसआरएलएम के साथ समन्वय कर सकते हैं और वित्तीय साक्षरता पर गांव शिविर आयोजित करने के लिए एफएल-सीआरपी की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

11 डेटा साझाकरण:

बैंक निम्नलिखित डेटा को आपसी सहमति वाले प्रारूपों/अंतरालों में डीएवाई-एनआरएलएम या राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के साथ साझा कर सकते हैं। ऐसे डेटा को साझा करते समय, बैंक 01 जुलाई, 2015 को बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 25 के प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित कर सकते हैं। ग्राहकों की सहमति के संबंध में, जैसा कि उपरोक्त मास्टर परिपत्र के पैरा 25 (iv) में उल्लेख किया गया है, बैंक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सहमति ग्राहकों से विशेष रूप से और अलग से प्राप्त की जा सकती है, न कि खाता खोलने या ऋण के लिए आवेदन में सामान्य खंड के रूप में सहमति के रूप में।

(i) पुनर्प्राप्ति आदि सहित विभिन्न रणनीतियों को आरंभ करने के लिए डेटा। ऐसा डेटा सीधे सीबीएस प्लेटफॉर्म से प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का डेटा, ताकि उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत अधिक नामांकन और दावा निपटान की सुविधा मिल सके।

(iii) दोहरी प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यवसाय संवाददाता बिंदुओं पर किए जा रहे सभी एसएचजी लेनदेन का डेटा।

12.बैंकों को डीएवाय-एनआरएलएम सहायता:

(i) एसआरएलएम विभिन्न स्तरों पर प्रमुख बैंकों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित करेगा। यह बैंकों और गरीबों दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने में निवेश करेगा।

(ii) एसआरएलएम वित्तीय साक्षरता प्रदान करने, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन पर परामर्श सेवाएं प्रदान करने तथा क्षमता निर्माण में अंतर्निहित सूक्ष्म निवेश योजना पर प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की सहायता करेगा।

(iii) एसआरएलएम गरीब ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बैंकों को सहयोग प्रदान करेंगे, जिसमें यदि कोई अतिदेय राशि हो तो उसकी वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई भी शामिल होगी। इसके लिए वे स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण में शामिल प्रत्येक बैंक शाखा में ग्राहक संबंध प्रबंधकों (बैंक मित्र/सखी) की नियुक्ति करेंगे।

(iv) आईटी मोबाइल प्रौद्योगिकियों और गरीबों, युवाओं या स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संस्थाओं को व्यापार सुविधा प्रदाताओं और व्यापार संवाददाताओं के रूप में लाभ पहुंचाना।

(v) समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र (सीबीआरएम): एसएचजी बैंक लिंकेज के लिए एक विशिष्ट उप-समिति गांव/क्लस्टर/ब्लॉक स्तर पर बनाई जा सकती है, जो ऋण राशि का उचित उपयोग, वसूली आदि सुनिश्चित करने में बैंकों को सहायता प्रदान करेगी। प्रत्येक गांव स्तरीय महासंघ के बैंक लिंकेज उप-समिति के सदस्य परियोजना स्टाफ के साथ शाखा प्रबंधक की अध्यक्षता में महीने में एक बार बैंक लिंकेज से संबंधित एजेंडा मदों के साथ शाखा परिसर में मिलेंगे।

<u>अनुलग्नक –I</u>

डीएवाई-एनआरएलएम की प्रमुख विशेषताएँ

1. **सर्वव्यापी सामाजिक जुटाव:** शुरुआत में, डीएवाई-एनआरएलएम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक चिन्हित ग्रामीण गरीब परिवार में से न्यूनतम एक सदस्य, विशेष रूप से एक महिला, को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाए. इसके बाद, महिलाओं और पुरुषों दोनों को आजीविका के मुद्दों के समाधान यानी किसान संगठनों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों, बुनकर संघों आदि के लिए संगठित किया जाएगा. ये सभी संस्थान समावेशी हैं और कोई भी गरीब इनसे अछूता नहीं रहेगा. डीएवाई-एनआरएलएम समाज के कमजोर वर्गों का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करेगा जैसे कि 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हैं, 15% अल्पसंख्यक हैं और 3% विकलांग व्यक्ति हैं, जबकि सभी परिवारों के 100% कवरेज के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्वचालित रूप से शामिल मानदंडों के अंतर्गत परिवार और सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार कम से कम एक वंचित मानदंड वाले परिवार.

2. **सहभागिता के आधार पर गरीबों की पहचान (पीआईपी)**: डीएवाई-एनआरएलएम लक्षित लाभार्थियों को शामिल करने के लिए एक समुदाय आधारित प्रक्रिया शुरू करेगा अर्थात लक्ष्य समूह की पहचान करने की प्रक्रिया में गरीबों की भागीदारी. सुदृढ़ पद्धति और उपकरणों (सामाजिक मानचित्रण और कल्याण वर्गीकरण, अभाव संकेतक) और स्थानीय रूप से समझे जाने वाले और स्वीकृत मानदंडों पर आधारित भागीदारी की प्रक्रिया, स्थानीय सहमति सुनिश्चित करती है जो अनजाने में समावेश और बहिष्करण त्रुटियों को कम करती है और आपसी आत्मीयता के आधार पर समूहों के गठन को सक्षम बनाती है.

   सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार कम से कम एक वंचित मानदंड वाले परिवारों के साथ-साथ पीआईपी प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित किए गए परिवारों को डीएवाई-एनआरएलएम लक्ष्य समूह के रूप में स्वीकार किया जाएगा और वे कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लाभों के लिए पात्र होंगे. पीआईपी प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप दी गई सूची का ग्राम सभा द्वारा पुनरीक्षण किया जाएगा और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा.

   जब तक राज्य द्वारा किसी विशेष जिले/ब्लॉक में पीआईपी की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती, तब तक एसईसीसी सूची के अनुसार कम से कम एक वंचित मानदंड वाले ग्रामीण परिवारों को डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत लक्षित किया जाएगा. जैसा कि डीएवाई-एनआरएलएम के कार्यान्वयन के लिए ढांचे में प्रदत्त किया गया है, समूह के अन्य सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, स्वयं सहायता समूह की कुल सदस्यता का 30% तक गरीबी की रेखा से मामूली ऊपर वाली आबादी में से हो सकता है. इस 30% में वे गरीब परिवार भी शामिल हैं जिनका नाम एसईसीसी सूची में नहीं है, लेकिन एसईसीसी सूची में शामिल लोगों के समान ही गरीब हैं.

3. **गरीबों की संस्थाओं का संवर्धन:** गरीबों के स्वयं सहायता समूह और उनके ग्राम और उच्च स्तरीय परिसंघ जैसी मजबूत संस्थाएं गरीबों को जगह, आवाज और संसाधन उपलब्ध कराने और बाहरी एजेंसियों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक हैं. वे उन्हें सशक्त

बनाते हैं और ज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रसार, और उत्पादन, सामूहिकता और वाणिज्य के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते हैं. इसलिए डीएवाई-एनआरएलएम इन संस्थानों को विभिन्न स्तरों पर स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा. इसके अलावा, डीएवाई-एनआरएलएम विशिष्ट संस्थानों जैसे आजीविका समूह, उत्पादक सहकारी/कंपनियों को आजीविका संवर्धन के लिए बड़ी संख्या के कारण लागत में कमी, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज और सूचना, ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार आदि तक पहुँच के माध्यम से बढ़ावा देगा. आजीविका समूह गरीबों को अपने सीमित संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में सक्षम बनाएँगे.

4. सभी मौजूद स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और गरीबों के परिसंघों को मजबूत करना: भारत सरकार के प्रयासों और एनजीओ के प्रयासों द्वारा गठित गरीब महिलाओं के लिए मौजूदा संस्थाएं हैं. डीएवाई-एनआरएलएम गरीबों के लिए चल रही सभी मौजूदा संस्थाओं को साझेदारी मोड में मजबूत बनाएगा. स्वयं सहायता संवर्द्धन संस्थाएं सरकारी और एनजीओ दोनो क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को लाने के लिए सामाजिक जवाबदेही के प्रयासों को बढ़ावा देगी. यह प्रयास एसआरएलएम और राज्य सरकारों द्वारा विकसित प्रणाली के अतिरिक्त होगा. एक दूसरे से सीखना डीएवाई-एनआरएलएम में सीखने की प्रमुख प्रक्रियाओं का आधार है.

5. प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर जोर देना: डीएवाई-एनआरएलएम यह सुनिश्चित करेगा कि गरीबों को अपनी संस्थाओं का प्रबंध करने, बाजारों से लिंक करने, अपनी मौजूदा आजीविका का प्रबंध करने, अपनी ऋण उपयोग की क्षमता और ऋण पात्रता आदि के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जाए. लक्षित परिवारों, स्वयं सहायता समूहों, उनके परिसंघों, सरकारी अधिकारियों, बैंकरों, एनजीओ और अन्य मुख्य हितधारकों के निरंतर क्षमता निर्माण के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है. एसएचजी और उनके परिसंघों और अन्य समूहों के क्षमता निर्माण के लिए सामुदायिक पेशेवरों और कम्यूनिटी रोसोर्स पर्सन के विकास और उन्हें शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. डीएवाई-एनआरएलएम सूचनाओं, संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के व्यापक उपयोग करेगा ताकि ज्ञान के प्रसार और क्षमता निर्माण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

6. परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश सहायता निधि (सीआईएफ): पात्र एसएचजी को मितव्ययिता की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में एक परिक्रामी निधि प्रदान की जाएगी और दीर्घावधि में अपनी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अल्पावधि में तत्काल खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के धन को जमा किया जाएगा. सीआईएफ एक कॉरपस होगा और प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने और रिपीट बैंक फाइनेंस का लाभ उठाने के लिए उपयोग किया जाएगा. सीआईएफ को परिसंघों के माध्यम से एसएचजी को भेजा जाएगा. गरीबी से बाहर निकलने की कुंजी उचित दरों पर निरंतर और आसान वित्त तक पहुंच है, जब तक कि वे अपने स्वयं के धन को बड़े पैमाने पर जमा नहीं कर लेते.

7. सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन: डीएवाई-एनआरएलएम सभी गरीब परिवारों, स्वयं सहायता समूहों और उनके परिसंघों को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं से परे सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की दिशा में काम करेगा. डीएवाई-एनआरएलएम वित्तीय समावेशन के दोनो पहलुओं

मांग और पूर्ती पर कार्य करेगा. मांग वाले पहलू पर, यह गरीबों के लिए वित्तीय साक्षरता का संवर्धन करेगा और स्वयं सहायता समूहों और उनके परिसंघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करेगा. पूर्ति वाले पहलू पर, यह वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय करेगा और आईसीटी आधारित वित्तीय प्रौद्योगिकी, बिज़नेस करेस्पोंडेंट और सामुदायिका सुविधा प्रदाता जैसे 'बैंक मित्र' के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा. यह ग्रामीण गरीबों को मृत्यु, स्वास्थ्य और आस्तियों के समक्ष सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने पर भी कार्य करेगा. इसके अलावा, यह विप्रेषण पर भी कार्य करेगा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां प्रवासन स्थानिक है.

8. ब्याज सहायता के प्रावधानः ग्रामीण गरीबों को अपने उपक्रमों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कम ब्याज दर पर और कई मात्रा में ऋण की आवश्यकता होती है. इन ग्रामीण गरीबों तक सुगम ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा निम्न ब्याज दर पर सहायता प्रदान करने का प्रावधान है.

9. निधि प्रदान करने का तरीकाः डीएवाई-एनआरएलएम केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजना है और इसका वित्त पोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में (सिक्किम को शामिल करते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों के मामले में 90:10 के अनुपात में, संघ शासित प्रदेशों में मामले में पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा) किया जाता है. राज्यों के लिए निर्धारित केंद्रीय आबंटन मोटे तौर पर राज्यों में गरीबी के आधार पर वितरित किया जाएगा.

10. प्रखण्डों में का कार्यान्वयन: डीएवाई- एनआरएलएम के कार्यान्वयन के लिए गए प्रखण्डों में प्रशिक्षित पेशेवर कर्मचारियों की पूर्ति और इसमें सर्वव्यापी और गहन सामाजिक और वित्तीय समावेशन, आजीविका, साझेदारी आदि गतिविधियों की एक पूरी श्रृंखला शामिल होगी।

11. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी): आरसेटी की संकल्पना ग्रामीण विकास स्वरोजगार संस्थान (रूडसेटी) के मार्गदर्शक मॉडेल पर बनाई गई है - यह एसडीएमई न्यास और केनरा बैंक के बीच एक सहयोगपूर्ण साझेदारी है। इस मॉडेल में बेरोजगार युवकों को एक अल्पावधिक अनुभवजन्य अभ्यास कार्यक्रम के माध्यम से निडर स्वनियोजित उद्यमी के रूप में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है जिसमें बाद में सुनियोजित दीर्घकालिक सहायक (हैण्ड होल्ड) समर्थन दिया जाता है। जरुरत आधारित उक्त प्रशिक्षण से उद्यमिता गुणवत्ताएं निर्मित होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, नाकामयाबी का जोखिम घट जाता है और प्रशिक्षु परिवर्तित एजेंटों के रूप में विकसित होते हैं। चयन, प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत अनुवर्ती कार्रवाई के चरणों पर बैंक पूरी तरह शामिल रहते हैं। गरीब लोगों की गरीबों की संस्थाओं के माध्यम से पता चलने वाली जरुरतों द्वारा आरसेटी को अपने स्वरोजगार और उद्यमों के व्यवसाय के लिए सहभागियों / प्रशिक्षुओं को तैयार करने में मार्गदर्शन मिलेगा। डीएवाई -एनआरएलएम देश के सभी जिलों में आरसेटी स्थापित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहित करेगा।

अनुलग्नक II

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज सहायता योजना

वर्ष 2024-25 के दौरान सभी जिलों में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी), राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए महिला एसएचजी को ऋण पर ब्याज अनुदान योजना

i.यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों तक ही सीमित है।

ii. इस योजना के तहत 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए बैंक 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण देंगे। 3 लाख रुपये तक के बकाया ऋण शेष के लिए, बैंकों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 4.5% प्रति वर्ष की एक समान दर से सब्सिडी दी जाएगी।

iii. इस योजना के तहत 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, बैंक अपने 1 साल के एमसीएलआर या बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण दर या कोई ईबीएलआर या 10% प्रति वर्ष, जो भी कम हो, के बराबर ब्याज दर पर ऋण देंगे। 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के बकाया ऋण शेष के लिए, बैंकों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 5% प्रति वर्ष की एक समान दर से सब्सिडी दी जाएगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को नाबार्ड को रु.3 लाख से अधिक और रु.5 लाख तक ऋण के लिए अपनी लागू बेंचमार्क दर या ऋण दर को स्पष्ट करना होगा।

iv. ब्याज सहायता केवल उस अवधि के लिए देय होगा जिसके दौरान एक खाता मानक श्रेणी में रहता है।

v.अन्य एजंसियों द्वारा संवर्धित और डीएवाई-एनआरएलएम प्रोटोकॉल का अनुपालन करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह भी डीएवाई-एनआरएलएम एसएचजी डाटाबेस में विवरण प्रस्तुत करने पर वे भी सब्सिडी वाले ऋणों के लाभ के लिए पात्र होंगे।

vi.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक डीएवाई- एनआरएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने के लिए नाबार्ड से रियायती पुनर्वित्त का लाभ उठा सकते हैं. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ सहकारी बैंकों से रियायती पुनर्वित्त की उपलब्धता नाबार्ड द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों द्वारा निर्देशित की जाएगी। तथापि, बैंकों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को नाबार्ड से पूर्णवित्त के माध्यम से दिए गए ऋण ब्याज सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

vii.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए रियायती पुनर्वित्त से संबन्धित विस्तृत दिशानिर्देश नाबार्ड द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

viii. ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD एमओआरडी) की सूचनानुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए यह योजना नाबार्ड द्वारा वेब आधारित पोर्टल द्वारा परिचालित की जाएगी।

ix.सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंक जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स (सीबीएस) पर कार्य कर रहें हैं, वे इस योजना के तहत ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।

x. महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए, बैंक यह सुनिश्चित करें कि डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों (बचत और ऋण दोनों) के खातों को सीबीएस में डीएवाई-एनआरएलएम/एसआरएलएम द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट कोड के साथ उचित रूप से पहचाना गया हो ।

xi. ब्याज अनुदान योजना में भाग लेने वाले सभी बैंकों को सभी आवश्यक तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार पोर्टल पर एसएचजी बचत और ऋण खाते आदि की जानकारी अपलोड करना आवश्यक है.

xii. DAY-NRLM के तहत महिला SHG को दिए गए ₹3 लाख तक के ऋण पर 7% की दर से ब्याज सहायता के साथ-साथ SHG को दिए गए ₹3 लाख से अधिक और ₹5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए, सभी बैंकों को नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को तिमाही आधार पर (यानी 30 जून 2024, 30 सितंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 और 31 मार्च 2025 तक) दावा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। किसी भी बैंक द्वारा प्रस्तुत दावों के साथ दावा प्रमाण पत्र (मूल रूप में) होना चाहिए जो सहायता के दावों को सत्य और सही प्रमाणित करता हो। मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए किसी भी बैंक के दावों के साथ पूरे वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक का सत्य और सही प्रामाणित पत्र होना आवश्यक है ।

xiii. दावा प्रमाणपत्रों का प्रारूप अनुलग्नक VI और VII के अनुसार होगा । वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित सभी दावे बैंकों द्वारा 30 सितंबर 2025 तक वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित करके प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

xiv. वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए संवितरण से संबंधित कोई भी शेष दावा, जो वर्ष के दौरान शामिल नहीं किया गया है, उसे अलग से समेकित किया जा सकता है और उसे 'अतिरिक्त दावा' के रूप में चिह्नित किया जा सकता है तथा वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित करते हुए नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को अधिक से अधिक 30 सितंबर 2025 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

xv. बैंकों द्वारा दावों में किए गए किसी भी सुधार को सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र के आधार पर बाद के दावों से समायोजित किया जाएगा। सभी बैंकों को पोर्टल पर तदनुसार आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता होगी।

अनुलग्नक III

महिला उद्यम त्वरण निधि

महिला उद्यमियों को मध्यम अवधि से लेकर दीर्घ अवधि तक ऋण वित्तपोषण उपलब्ध कराने और उन्हें व्यवहार्य उद्यमों में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए एक समर्पित 'महिला उद्यम त्वरण कोष' की स्थापना की गई है। यह कोष पहली बार महिला उद्यमियों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और मौजूदा महिला स्वामित्व वाले उद्यमों को बढ़ने और विस्तार करने में भी सहायता करेगा।

महिला उद्यम त्वरण निधि के अंतर्गत उद्यमों के लिए योजनाएं

महिला उद्यम त्वरण निधि के अंतर्गत व्यक्तिगत महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:

1) ऋणदाता संस्थाओं को ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति

यह कोष सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) या NCGTC के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) के तहत क्रेडिट गारंटी कवर लेने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए वास्तविक क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता प्रदान करेगा। DAY-NRLM के तहत व्यक्तिगत महिला SHG सदस्यों को अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹5 लाख तक के ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों/ऋण देने वाली संस्थाओं को वास्तविक क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऋण राशि ₹5 लाख से अधिक होने की स्थिति में, ऋण राशि के अनुपात में क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2) शीघ्र पुनर्भुगतान पर ब्याज में छूट

वित्तीय संस्थाओं को ऋण का शीघ्र पुनर्भुगतान करने वाली महिला उद्यमियों को अच्छे पुनर्भुगतान व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए 2% ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। इससे महिला उधारकर्ताओं के लिए ऋण सस्ता हो जाएगा और उद्यमों की व्यवहार्यता बढ़ेगी। महिला उद्यम त्वरण निधि के तहत, एसएचजी को प्रति उधारकर्ता ₹1.5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। ऋण की बकाया राशि ₹1.5 लाख से अधिक होने की स्थिति में, ब्याज सहायता केवल ₹1.5 लाख की सीमा तक सीमित होगी। व्यक्तिगत महिला उद्यमी को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त लाभ किसी व्यक्ति को केवल एक बार ही प्रदान किये जायेंगे।

महिला उद्यम त्वरण निधि के अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन

महिला उद्यम त्वरण निधि के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए किया जाएगा । नाबार्ड डीओआरडी की सलाह के अनुसार वेब-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं का संचालन करेगा। विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. <u>ऋणदाता संस्थाओं को ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति:</u>

(i) डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वामित्व वाले उद्यमों को ऋण प्रदान करने वाले सभी बैंक एनसीजीटीसी के अंतर्गत सीजीटीएमएसई अथवा सीजीएफएमयू द्वारा लगाए गए वास्तविक ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

(ii) ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति चाहने वाले बैंक/ऋण देने वाली संस्थाओं को सीजीटीएमएसई के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य ऋण देने वाली संस्था (एमएलआई) या एनसीजीटीसी के अंतर्गत सीजीएफएमयू

होना चाहिए।

(iii) डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत व्यक्तिगत महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को दिए गए ऋणों के लिए एनसीजीटीसी के अंतर्गत सीजीटीएमएसई या सीजीएफएमयू द्वारा ली गई (वास्तविक आधार पर) ऋण गारंटी फीस की प्रतिपूर्ति पर विचार किया जाएगा।

(iv) ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति पर 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए प्रति उधारकर्ता 5 लाख रुपये के अधिकतम ऋण बकाया के लिए विचार किया जाएगा।

(v) 5 लाख रुपये से अधिक ऋण राशि के मामले में, क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

(vi) ऋणदाता के लिए ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति पर केवल एक बार विचार किया जाएगा।

(vii) योजना में भाग लेने वाले बैंकों को नाबार्ड के पोर्टल पर अन्य प्रासंगिक सूचनाओं के साथ-साथ व्यक्तिगत उधारकर्ताओं का विवरण अपलोड करना होगा।

(viii) बैंकों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के विवरण को संबंधित एसआरएलएम द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के लिए, एसआरएलएम को डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों को दिए गए 'अद्वितीय कोड ' दर्ज करने होंगे।

(ix) बैंकों को अपने सीबीएस पर ऋण खातों को ' डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एसएचजी सदस्य ' के रूप में चिह्नित करना चाहिए। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एसएचजी सदस्यों की पहचान के लिए, बैंकों को संबंधित सीआईएफ/ऋण खातों के खिलाफ बैंकों के सीबीएस में ' विशिष्ट कोड ' एम्बेड करना आवश्यक है।

(x) सभी सहभागी बैंकों को केवल सत्यापित खातों के लिए ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे।

(xi) बैंकों को तिमाही आधार पर (अर्थात 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को) नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को दावा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। किसी भी ऋणदाता संस्थान द्वारा प्रस्तुत दावों के साथ अनुलग्नक-VIII के रूप में दिया गया दावा प्रमाणपत्र होना चाहिए जो दावों को सत्य और सही प्रमाणित करता हो। 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए किसी भी बैंक के दावों का निपटान डीओआरडी द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ही किया जाएगा।

(xii) पिछले वर्ष के दौरान किए गए संवितरण से संबंधित कोई भी शेष दावा, जो दावों में शामिल नहीं है, को अलग से समेकित किया जा सकता है, और उसे 'अतिरिक्त दावा' के रूप में चिह्नित किया जा सकता है तथा वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सही प्रमाणित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किया जा सकता है।

(xiii) बैंकों द्वारा दावों में किए गए किसी भी सुधार को ऑडिटर के प्रमाण-पत्र के आधार पर बाद के दावों से समायोजित किया जाएगा। सभी बैंकों को तदनुसार नाबार्ड के पोर्टल पर आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता होगी।

(xiv) बैंक से प्राप्त दावों का निपटान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उचित जांच के बाद नाबार्ड के माध्यम से किया जाएगा।

(xv) योजना में भाग लेने वाले बैंकों को दावों से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सत्यापन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लेखा परीक्षकों/प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने होंगे।

(xvi) बैंकों को एनसीजीटीसी के तहत सीजीटीएमएसई या सीजीएफएमयू के साथ "एमएलआई" के रूप

में स्थिति में किसी भी बदलाव के मामले में तुरंत डीओआरडी को सूचित करना होगा।

2. <u>उद्यमों के लिए व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान</u>

(i) यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत समर्थित महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों तक सीमित है।

(ii) किसी व्यक्तिगत महिला उद्यमी को ब्याज अनुदान केवल एक बार प्रदान किया जाएगा।

(iii) डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वामित्व वाले उद्यमों को (1 वर्ष की एमसीएलआर + अधिकतम 3% प्रसार) के समतुल्य अथवा अधिकतम 14% प्रति वर्ष ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने वाले सभी बैंक इस योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान का दावा करने के लिए पात्र होंगे।

(iv) योजना में भाग लेने वाले बैंकों को नाबार्ड के पोर्टल पर अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ-साथ व्यक्तिगत उधारकर्ताओं का विवरण अपलोड करना होगा।

(v) बैंकों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के विवरण को संबंधित एसआरएलएम द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के लिए, एसआरएलएम को डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों को दिए गए ' विशिष्ट कोड ' दर्ज करने होंगे।

(vi) बैंकों को अपने सीबीएस पर ऋण खातों को ' डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एसएचजी सदस्य ' के रूप में चिह्नित करना चाहिए। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एसएचजी सदस्यों की पहचान के लिए, बैंकों को संबंधित सीआईएफ/ऋण खातों के खिलाफ बैंकों के सीबीएस में ' विशिष्ट कोड ' एम्बेड करना आवश्यक है।

(vii) सभी सहभागी बैंकों को केवल सत्यापित खातों के लिए तिमाही आधार पर ब्याज अनुदान हेतु अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे।

(viii) ऋण देने वाली संस्थाएँ अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति उधारकर्ता ₹1.5 लाख के अधिकतम बकाया ऋण पर 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता का दावा कर सकती हैं। ऋण की बकाया राशि ₹1.5 लाख से अधिक होने की स्थिति में, ब्याज सहायता केवल ₹1.5 लाख की सीमा तक ही सीमित होगी। ऋण की अवधि की गणना ऋण की स्वीकृति की मूल तिथि से की जाएगी।

(ix) ऋण देने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एकाधिक स्रोतों से प्राप्त ब्याज छूट योजनाओं को एक ही उधारकर्ता के लिए संयुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(x) ब्याज सहायता का दावा केवल उस अवधि के लिए किया जा सकता है जब तक खाता मानक बना रहा। उस अवधि के लिए कोई ब्याज सहायता देय नहीं होगी जब तक खाता "एनपीए" के रूप में वर्गीकृत रहा। यदि "एनपीए" के रूप में वर्गीकृत खाता बाद में अतिदेय राशि की वसूली के कारण मानक परिसंपत्ति बन जाता है, तो उस अवधि के लिए कोई सहायता राशि देय नहीं होगी जब तक खाता "एनपीए" के रूप में वर्गीकृत रहा।

(xi) ऋणदाता संस्थाओं को तिमाही आधार पर (अर्थात 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को दावा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। किसी भी ऋणदाता संस्था द्वारा प्रस्तुत दावों के साथ अनुलग्नक-IX के रूप में दिया गया दावा प्रमाणपत्र होना चाहिए जो दावों को सत्य और सही प्रमाणित करता हो। 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए किसी भी बैंक के दावों का निपटान डीओआरडी द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।

(xii) पिछले वर्ष के दौरान किए गए संवितरण से संबंधित कोई भी शेष दावा, जो दावों में शामिल नहीं है,

को अलग से समेकित किया जा सकता है और 'अतिरिक्त दावा' के रूप में चिह्नित किया जा सकता है और वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यता प्रमाणित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक **नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों** को प्रस्तुत किया जा सकता है।

(xiii) बैंक से प्राप्त दावों का निपटान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उचित जांच के बाद नाबार्ड के माध्यम से किया जाएगा।

(xiv) सहभागी बैंकों को नाबार्ड से धनराशि प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर संबंधित ऋण खाते में ब्याज छूट की राशि जमा करनी चाहिए। यदि ब्याज छूट खाते में जमा करने से पहले ऋण खाता बंद कर दिया जाता है, तो राशि उसी ग्राहक के बचत खाते (यदि कोई हो) में जमा की जानी चाहिए। यदि कोई राशि संबंधित लाभार्थी के खाते में जमा नहीं की जा सकी, तो उसे ग्रामीण विकास विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिए।

(xv) बैंकों द्वारा दावों में किए गए किसी भी सुधार को ऑडिटर के प्रमाण पत्र के आधार पर बाद के दावों से समायोजित किया जाएगा। सभी बैंकों को तदनुसार नाबार्ड के पोर्टल पर आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता होगी।

(xvi) योजना में भाग लेने वाले बैंकों को दावों से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सत्यापन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लेखा परीक्षकों/प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने होंगे।

Public

अनुलग्नक
IV

शाखा नाम:
बैंक का नाम:
खंड का नाम:

-------- **2024 के महीने के लिए प्रगति रिपोर्ट**

जिला:
राज्य :

ऋणों की संख्या – वास्तविक* ₹लाख

क्रम सं.	**बचत खाते वाले स्वयं सहायता समूह की संख्या**			**महीने में क्रेडिट लिंक स्वयं सहायता समूह**						**ऋण बकाया**	
	पिछले माह तक कुल बचत खाते	**इस माह में खोले गए नए खाते**	**संचयी ऋण**	**नए ऋण**		**पुनः ऋण**		**संचयी ऋण**		**ऋणों की संख्या**	**बकाया राशि ***
				ऋणों की संख्या	**संवितरित की गई राशि***	**ऋणों की संख्या**	**संवितरित की गई राशि***	**ऋणों की संख्या**	**संवितरित की गई राशि***		
	1 (a)	1 (b)	1(c) = 1(a)+ 1(b)	2(a)	2(b)	3(a)	3(b)	4(a)= 2(a) + 3(a)	4(b)= 2(b)+ 3(b)	5(a)	5 (b)

*नए ऋण *: पहले लिंकेज ऋणों को नए ऋणों के रूप में माना जाएगा.*
** दूसरे और तीसरे लिंकेज को रिपीट फाइनेंस के रूप में माना जाएगा*
*बकाया ऋण *5 (a)* और *5 (b)* में महीने में संवितरित संचयी ऋण शामिल होना चाहिए अर्थात *5 (b)=4 (b)*+पिछले महीने तक बकाया क्रेडिट

अनुलग्नक V

---------- माह के लिए विलंब रिपोर्ट

शाखा का नाम :
बैंक का नाम:
खंड का नाम:
जिला :
राज्य :

(ऋणों की संख्या- कुल * ₹ लाख)

क्रम सं	**ऋण खातों की संख्या**	**बकाया राशि***	**अनियमित खाते (4)**		**एनपीए खातों का विवरण (5)**	
			खातों की संख्या	**अतिदेय राशि ***	**खातों की संख्या**	**राशि ***
1	**2**	**3**	**4(a)**	**4(b)**	**5(a)**	**5(b)**

अनुलग्नक VI

<u>वर्ष 2024-25 के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% प्रति वर्ष की दर से रु.3 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता के लिए दावा</u>

बैंक का नाम:

------से -------- अवधि के लिए रु.3 लाख तक संवितरित/ बकाया ऋण के लिए दावों का विवरण

----से ----- तक की अवधि के दौरान खोले गए नए ऋण खाते		----- तक बकाया (पिछली अवधि के समाप्ती तक)		कुल बकाया के रूप में----------		ब्याज सहायता अनुदान की राशि @4.5%
खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	राशि

ब्याज सहायता का लाभ उठाने वाले विशिष्ट स्वयं सहायता समूहों की संख्या	ब्याज अनुदान सहायता की राशि

ध्यान दें: वास्तविक आंकड़ों में संख्या (सं) और राशि

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि महिला स्वयं सहायता समूहों को वर्ष 2024-25 में उपर्युक्त संवितरण/ बकाया राशि पर रु.3 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया गया था. हम प्रमाणित करते हैं कि खाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज सहायता के लिए पात्र है और बैंक ने इन सभी खातों को सीबीएस पर 'डीएवाई-एनआरएलएम' के तहत स्वयं सहायता के रूप में सत्यापित और रेखांकित किया गया. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शाखा स्तर से ब्याज सहायता दावा प्रस्तुत करते समय दावों में कोई दोहराव नहीं है और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप है.

तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और मुहर

(वर्ष के लिए समेकित इस दावे के प्रारूप को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए और 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के दावों के साथ 30 सितंबर, 2025 के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

अनुलग्नक VII

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को रु.3 लाख से अधिक और रु.5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता के लिए दावा

बैंक का नाम :

------से -------- अवधि के लिए रु.3 लाख से अधिक और रु.5 लाख तक संवितरित/ बकाया ऋण के लिए दावों का विवरण

----से ----- तक की अवधि के दौरान खोले गए नए ऋण खाते			----- तक बकाया (पिछली अवधि के समाप्ती तक)			कुल बकाया के रूप में----------			ब्याज सहायता अनुदान की राशि @5%
खातों की संख्या	लागू ब्याज दर (1 वर्ष एमसीएलआर/ निधि की लागत/ बेंचमार्क दर)	राशि	खातों की संख्या	लागू ब्याज दर (1 वर्ष एमसीएलआर / निधि की लागत/ बेंचमार्क दर)	राशि	खातों की संख्या	लागू ब्याज दर (1 वर्ष एमसीएलआर/ निधि की लागत/ बेंचमार्क दर)	राशि	राशि

ब्याज सहायता का लाभ उठाने वाले विशिष्ट स्वयं सहायता समूहों की संख्या	ब्याज अनुदान सहायता की राशि

ध्यान दें: वास्तविक आंकड़ों में संख्या (सं) और राशि

हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹3 लाख से अधिक और ₹5 लाख तक के ऋण पर बैंक द्वारा घोषित 1 वर्ष की एमसीएलआर या बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण दर या कोई ईबीएलआर अनुसार या 10% प्रति वर्ष, जो भी कम हो के अनुसार ब्याज लगाया था. ₹3 लाख से अधिक और ₹5 लाख तक के बकाया क्रेडिट बैलेंस के लिए, बैंकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 5% प्रति वर्ष की एक समान दर से सबवेंट किया जाए. हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार खाते ब्याज सबवेंशन के लिए पात्र हैं और बैंक ने इन सभी खातों को सीबीएस पर 'डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एसएचजी' के रूप में सत्यापित और चिह्नित किया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शाखा स्तर से ब्याज सहायता दावा प्रस्तुत करते समय दावों में कोई दोहराव नहीं है और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप है.

दिनांक

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और मुहर

(वर्ष के लिए समेकित इस दावे के प्रारूप को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए और 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के दावों के साथ 30 सितंबर, 2025 के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

अनुलग्नक VIII

महिला एसएचजी सदस्यों के स्वामित्व वाले उद्यमों से 5 लाख रुपये तक के क्रेडिट शुल्क पर क्रेडिट गारंटी के लिए दावा

बैंक का नाम :

अवधि के लिए दावों का विवरण ..... ₹5 **लाख तक का ऋण वितरित किया गया**

----से ----- तक की अवधि के दौरान खोले गए नए ऋण खाते		ब्याज सहायता अनुदान की राशि
खातों की संख्या	राशि	

ध्यान दें: वास्तविक आंकड़ों में संख्या (संख्या) और राशि

हम प्रमाणित करते हैं कि खाते डीओआरडी दिशानिर्देशों के अनुसार क्रेडिट गारंटी शुल्क के दावे के लिए पात्र हैं और बैंक/उधार देने वाली संस्था ने इन सभी खातों को सीबीएस पर 'डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एसएचजी 'के रूप में सत्यापित और चिह्नित किया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि दावों में कोई दोहराव नहीं है और ग्राहक से क्रेडिट गारंटी शुल्क नहीं लिया गया है।

दिनांकित

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और मुहर

वैधानिक लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर

(वर्ष के लिए समेकित इस दावे के प्रारूप को 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के दावे के दावों के साथ 30 सितंबर, 2025 के भीतर वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना आवश्यक है)

अनुलग्नक IX

महिला एसएचजी सदस्यों के स्वामित्व वाले उद्यमों को ₹1.5 लाख तक के ऋण पर ब्याज छूट का दावा

बैंक का नाम :

अवधि केलिए दावों का विवरण ----- से ----- : ऋण संवितरित/बकाया रुपये 1.5 लाख तक

----से ----- तक की अवधि के दौरान खोले गए नए ऋण खाते		----- तक बकाया (पिछली अवधि के समाप्ती तक)		कुल बकाया के रूप में----------		ब्याज सहायता अनुदान की राशि @2%
खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	राशि

महिला एसएचजी सदस्यों की संख्या जिनने आंतरिक अनुदान का लाभ उठाया	ब्याज अनुदान की राशि

ध्यान दें: वास्तविक आंकड़ों में संख्या (संख्या) और राशि

हम प्रमाणित करते हैं कि खाते डीओआरडी दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज छूट के लिए पात्र हैं और बैंक/उधार देने वाली संस्था ने इन सभी खातों को सीबीएस पर 'डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एसएचजी 'के रूप में सत्यापित और चिह्नित किया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि शाखा स्तर से ब्याज छूट का दावा प्रस्तुत करते समय दावों में कोई दोहराव नहीं है और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्त सभी पिछले दावे संबंधित लाभार्थी खातों में जमा कर दिए गए हैं और बैंक के पास कोई शेष राशि नहीं है।

दिनांकित

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और मुहर

वैधानिक लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर

(यह दावा प्रारूप, वर्ष के लिए समेकित, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए और 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के दावों के साथ 30 सितंबर, 2025 के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

अनुलग्नक x अ

सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

(एक सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र
(एक ही प्रारूप में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र)

1. प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 24 मई 2024 के नाबार्ड के परिपत्र सं 98/ एमसीआईडी-03/ 2024 के अनुदेशों के अनुसार ----- से ----- तक अवधि के लिए रु.--------- (रूपये ----------)के लिए ___% ब्याज सहायता प्रदान की गई जिसे बैंक (बैंक का नाम) द्वारा पूरा किया गया है. उपर्युक्त दावे को मेरी संतुष्टि के लिए सत्यापित किया गया है और बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड मेरे द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है और इसे सही पाया गया है.

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक द्वारा ऋणी को स्वीकृत और संवितरित महिला एसएचजी ऋणों (₹ 3 लाख तक) पर ऋण ब्याज दर 7% प्रति वर्ष है.

बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर:

नाम : दिनांक :

एफ़आरएन सं:

अनुलग्नक x आ

<u>सांविधिक लेखा परीक्षा का प्रमाण पत्र</u>
(**एक ही प्रारूप में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र**)

1. प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 24 मई 2024 का नाबार्ड के परिपत्र सं 98/ एमसीआईडी-03/ 2024 के अनुदेशों के अनुसार ----- से ------ तक अवधि के लिए रु.---------- (रुपये ---------- ----------) के लिए ____% ब्याज सहायता प्रदान की गई जिसे बैंक (बैंक का नाम) द्वारा पूरा किया गया है. उपर्युक्त दावे को मेरी संतुष्टि के लिए सत्यापित किया गया है और बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड मेरे द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई है और इसे सही पाया गया है.

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि बैंक द्वारा ऋणी को स्वीकृत और संवितरित महिला एसएचजी ऋणों (₹ 3 लाख से अधिक और ₹ 5 लाख तक) पर ऋण ब्याज दर वर्ष 2024-25 के दौरान 10% प्रति वर्ष से अधिक नहीं है.

बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर

नाम : तारीख:

एफ़आरएन सं.: